Uttar Pradesh Shasan
Food and Civil Supplies Section-7

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.07/2017/545/XXIX-7-2017-Writ-07/2017, dated : October 12 , 2017.

NOTIFICATION
No.07/2017/545/XXIX-7-2017-Writ-07/2017
Lucknow :Dated: October 12 , 2017

The Uttar Pradesh Kerosene Control (Fourteenth Amendment) Order, 1994 which was issued on April 19, 1994 with Notification No.584/XXIX-7-69(PP)/91 but could not be published in the Gazette is hereby published as follows with such modification as is necessary to regulate the things done and actions taken in pursuance of the provisions of the Uttar Pradesh Kerosene Control Order, 1962 as amended by the said amending order of 1994:-

"NOTIFICATION
No.584/XXIX-7-69(PP)/91
Dated: Lucknow : April 19,1994

In exercise of the powers under section-3 of the Essential Commodities Act,1955 (Act No. X of 1955) read with the Government of India, Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operation) Order No. S.O. 681 (E) dated November 30, 1974 and Section 21 of the General Clauses Act, 1897(Act no.10 of 1897), the Governor is pleased to make the following order with a view to amending the Uttar Pradesh Kerosene Control Order, 1962.

THE UTTAR PRADESH KEROSENE CONTROL (FOURTEENTH AMENDMENT) ORDER, 1994

Short title, extent and commencement

1. (1) This order may be called the Uttar Pradesh Kerosene Control (Fourteenth Amendment) Order, 1994
(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh .
(3) It shall come into force with effect from the date of issuance of this notification i.e. April 19, 1994.

Amendment of clause-2

2. In the Uttar Pradesh Kerosene Control Order, 1962, hereinafter referred to as the said Order, in clause 2 for sub-clause(e) the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(e) 'Licencing Authority' means the District Magistrates of the district and includes the Additional District Magistrate (Civil Supplies) or the District Supply Officer of the district

http://shasanadesh.up.nic.in

authorised by him to perform any of the functions of Licencing Authority under this order."

Amendment of clause-6

3. In the said order, in clause 6 in sub-clause (IV) the words "or renewed" shall be omitted.

Substitution of clause 8

4. For clause 8 of the said order, following clause shall be substituted, namely:-

"One time licence

8. A licence granted under this order shall be one time licence and shall be valid unless cancelled by the licensing authority under this order:

Provided that a licence granted before the commencement of the Uttar Pradesh Kerosene Control (Fourteenth Amendment) Order, 1994 shall be valid for a period for which it is granted and if the licencee at his option applies for one time licence before the expiry of period of validity of the existing licence, in that case, the proportionate fee of the remaining period of the existing licence shall be adjusted towards the fee prescribed for one time licence."

Amendment of clause-10

5. In the said Order, in clause 10

(a) for sub-clause (i) the following sub-clause shall be substituted namely:-

"(i) The fees prescribed below shall be chargeable for issue of licence :

(A) Licence in Form III	
(a) for issue of licence	Rs. 5,000.00
(b) for issue of duplicate licence	Rs. 500.00
(B) Licence in Form III A	
(a) for issue of licence	Rs.1,050.00
(b) for issue of duplicate licence	Rs 200.00
(C) Licence in form IV	
(a) for issue of licence	Rs. 250.00
(b) for issue of duplicate licence	Rs. 100.00

(b) (b) in sub-clause (ii) the words "for renewal of licence or" appearing after the words " licence fee" and the words "renewal or "appering after the word "application" shall be omitted."

Amendment of clause-11

6. In clause 11 of the said order,

(a) in the marginal heading the words "and refusal to renew a licence "shall be omitted;

(b) the words "or refuse to renew a licence" and in the first proviso the words "or its renewal" shall be omitted.

http://shasanadesh.up.nic.in

Amendment of clause-12

7. In clause 12 of the said order, for sub-clause(i) the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(1) any person aggrieved by the cancellation of his licence may within thirty days of the communication of the order prefer as appeal to the concerned Divisional commissioner or to such other Officer as nominated by the State Government in this behalf."

Amendment of schedule

8. In the Schedule to the said Order,

(a) in Form I, in the heading, the words "or for renewal of such licence "shall be omitted;
(b) in form I-A, in the heading, the words "or for renewal of such licence "shall be omitted;
(c) in form II, the heading, the words "or for renewal of such licence "shall be omitted;
(d) in each of the Form III Form IIIA and Form IV, the following shall omitted:-

"Renewal Endorsement

Date of renewal	Date of expiry	Signature of Lincencing Authority	Remarks"
1	2	3	4

By Order,

Shitla Prasad
Special Secretery.

http://shasanadesh.up.nic.in

Note- The Uttar Pradesh Kerosene Control Order, 1962 was originally issued with notification no.11978/XXIX-BD(2)-1-K-62, dated December 27, 1962 and was amended by the following orders:

(i) Notification no.1098/XXIX-BD(2), dated March 19, 1963.

(ii) Notification no.3216/XXIX-BD(2)-66-K-63,dated June 6, 1963.

(iii) Notification no.U.O.180/XXIX-B-1(Mitti Tel)-117-68, dated April 14, 1969.

(iv) Notification no.1376/XXIX-B-1-1(Mitti Tel)-44-69,dated March 11, 1970.

(v) Notification no.608/XXIX-B-1-1(Mitti Tel)-12-69, dated April 20, 1970.

(vi) Notification no.5722/XXIX-E.C.-1-74(KO)-75,dated November 25, 1975.

(vii) Notification no.10911/XXIX-E.C.-1-11(KO)-76-CA-10-1955-B-1962-A.M.(7)-1977,dated September 15, 1977.

(viii) Notification no.9201/XXIX-A.V.-1-33(KO)-78-CA-10-1955-O-1962-A.M.(8)-1978, dated September 29, 1978.

(ix) Notification no.10235/XXIX-A.V.-1-33(KO)-78-CA-10-1955-O-1962-A.M.(9)-1979,dated January 9, 1979.

(x) Notification no.5298/XXIX-7-33(KO)-78-CA-10-1955-O-1962-A.M.(10)-1980, dated May 12, 1980.

(xi) Notification no 231/XXIX-7-32(KO)-77-CA-10-1955-O-1962-A.M.-11-1980,dated September 15, 1980.

(xii) Notification no.2331/XXIX-7-75(KO)/88-CA-10-1955-O-1962-A.M.-12-1988, dated June 29, 1988.

(xiii) Notification no.1367/XXIX-7-88-(KO)-89-CA-10-1955-O-1962-AM-13-1990, dated May 10, 1990.

x-x-x-x-x-x-x-x

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य एवं रसद अनुभाग-7

संख्या-07/2017/545/29-7-2017-रिट-07/2017

लखनऊ दिनांक 12 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण (चौदहवां संशोधन) आज्ञा, 1994 जिसे अधिसूचना संख्या-584/29-7-69(पी.पी.)/91, द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 1994 को जारी किया गया था, किन्तु गजट में प्रकाशित नहीं किया जा सका, एतद्द्वारा उक्त संशोधनकारी आज्ञा सन् 1994 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण आज्ञा, 1962 के उपबन्धों के अनुसरण में कृत कार्यों और कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए आवश्यक ऐसा उपांतरण सहित निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश सरकार

खाद्य तथा रसद अनुभाग-7

संख्या-584/29-7-69(पी.पी.)/91

लखनऊ दिनांक 19 अप्रैल, 1994

अधिसूचना

भारत सरकार के उद्योग तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता विभाग) के आदेश संख्या-एस0ओ0-681(ई), दिनांक 30 नवम्बर, 1974 और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन 1897) की धारा-21 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या-10 सन 1955) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण आज्ञा, 1962 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित आज्ञा देते हैं:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1	उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण (चौदहवां संशोधन) आज्ञा, 1994 (1) यह आज्ञा उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण (चौदहवां संशोधन) आज्ञा, 1994 कहा जायेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। (3) यह इस अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक अर्थात 19 अप्रैल, 1994 से प्रवृत्त होगा।
खण्ड 2 का संशोधन	2	यह उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण आज्ञा, 1962, जिसे आगे उक्त आज्ञा कहा गया है, में खण्ड-2 में, उप खण्ड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात, (ड) " लाईसेंस प्राधिकारी का तात्पर्य जिले के जिला मजिस्ट्रेट से है और इसके अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट (नागरिक आपूर्ति) या जिले का जिला पूर्ति अधिकारी भी है जिसे उसके द्वारा इस आदेश के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी के

http://shasanadesh.up.nic.in

किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाय।

खण्ड 6 का संशोधन — 3 उक्त आज्ञा में, खण्ड-6 में, उप खण्ड (4) में शब्द "न नवीनीकरण किया जायेगा" निकाल दिये जायेंगे।

खण्ड 8 का प्रतिस्थापन — 4 उक्त आज्ञा के खण्ड-8 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:-

"एक बार का लाइसेंस — 8- इस आज्ञा के अधीन स्वीकृत लाइसेंस एक बार का लाइसेंस होगा और तब तक विद्यिमान्य होगा जब तक इस आज्ञा के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निरस्त न कर दिया जाय।

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण (चौदहवां संशोधन) आज्ञा, 1994 के प्रारम्भ होने के पूर्व स्वीकृत कोई लाइसेंस उस अवधि के लिए जिसके लिए वह स्वीकृत किया जाए विद्यिमान्य होगा और यदि लाइसेंसधारी अपने विकल्प पर वर्तमान लाइसेंस की विद्यिमान्यता अवधि के अवसान के पूर्व एक बार का लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो उस स्थिति में विद्यमान लाइसेंस की अवशेष अवधि की आनुपातिक फीस एक बार का लाइसेंस के लिए विहित फीस के प्रति समायोजित किया जायेगा।"

खण्ड 10 का संशोधन — 5 उक्त आज्ञा में, खण्ड 10 में :-

(क) उप खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:-

"(एक) लाइसेंस जारी करने के लिए नीचे नियत किये गये शुल्क लिये जायेंगे:-

(क) प्रपत्र 3 में लाइसेंस

(क) लाइसेंस जारी करने के लिए	5,000.00 रूपये
(ख) लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	500.00 रूपये

(ख) प्रपत्र 3 क में लाइसेंस

(क) लाइसेंस जारी करने के लिए	1,050.00 रूपये
(ख) लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	200.00 रूपये

(ग) प्रपत्र 4 में लाइसेंस-

(क) लाइसेंस जारी करने के लिए	250.00 रूपये
(ख) लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	100.00 रूपये

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख) उप खण्ड (दो) में शब्द "लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए" या और शब्द "यथास्थिति नवीकरण या" निकाल दिये जायेंगे।

खण्ड 11 का संशोधन

6 उक्त आदेश के खण्ड 11 में:-

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "और लाइसेंस नवीकरण करने से इन्कार करना" निकाल दिये जायेगें,

(ख) शब्द "या किसी लाइसेंस का नवीकरण करने से इन्कार कर सकता है" और प्रथम परन्तुक में शब्द "या उसका नवीनीकरण करने से इन्कार करने" निकाल दिये जायेगें।

खण्ड 12 का संशोधन

7 उक्त आदेश के खण्ड 12 में, उप खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:-

"(एक) कोई व्यक्ति जो अपने लाइसेंस के निरस्त किये जाने से व्यथित हो, आज्ञा को सूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर सम्बन्धित मंडलीय आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किया जाय, अपील कर सकता है।"

अनुसूची का संशोधन

8 उक्त आज्ञा की अनुसूची में :-

(क) प्रपत्र 1 में, शीर्षक में, शब्द "अथवा ऐसे लाइसेंस के नवीकरण के लिए" निकाल दिये जायेगें,

(ख) प्रपत्र 1-क में, शीर्षक में, शब्द "अथवा ऐसे लाइसेंस के नवीकरण के लिए" निकाल दिये जायेगें,

(ग) प्रपत्र 2 में, शीर्षक में, शब्द "अथवा ऐसे लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये" निकाल दिये जायेगें,

(घ) प्रपत्र 3, प्रपत्र 3-क और प्रपत्र 4 में प्रत्येक से निम्नलिखित को निकाल दिया जायेगा:

"<u>नवीकरण का पृष्ठांकन</u>

नवीकरण का दिनांक	समाप्ति का दिनांक	लाइसेंस प्राधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां" (remarks)
1	2	3	4

आज्ञा से,
शीतला प्रसाद
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

टिप्पणी:- उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण आज्ञा, 1962 मूलत: अधिसूचना संख्या-11978/29-बी/डी(2) के-62 दिनांक 27 दिसम्बर 1962 के साथ जारी की गयी थी और निम्नलिखित आज्ञाओं द्वारा उसमें संशोधन किया गया:-

1- अधिसूचना संख्या 1098/29-बी0डी0(2) दिनांक 19 मार्च, 1963

2- अधिसूचना संख्या 3216/29-बी0डी0(2)-66 के 63 दिनांक 6 जून, 1963

3- अधिसूचना संख्या-यू0ओ0-180/29-बी0-1(मि0ते0)-117/1968, दिनांक 14 अप्रैल, 1969

4- अधिसूचना संख्या-1376/29-बी-1-1(मि0ते0)-44-69, दिनांक 11 मार्च, 1970

5- अधिसूचना संख्या-608/29-बी-1-1(मि0ते0)-12-69, दिनांक 20 अप्रैल, 1970

6- अधिसूचना संख्या-5722/29 ईसी-1-74(के0ओ0)-75 दिनांक 25 नवम्बर, 1975

7- अधिसूचना संख्या-10911/29-अ0व0-1-11(के0ओ0)-76 सी ए-10/1955-बी-1962-ए0एम0(7)-1977 दिनांक 15 सितम्बर, 1977

8- अधिसूचना संख्या-9201/29-अ0व0-1-33(के0ओ0)-78 सी0 ए0-10/1955-ओ-1962 ए0एम0 (8)-1978 दिनांक 29 सितम्बर, 1978

9- अधिसूचना संख्या-10235/29-आ0व0-1-33(के0ओ0)-78 सी0 ए0-10/1955- ओ-1962-ए0एम0(9)-1979 दिनांक 09 जनवरी, 1979

10- अधिसूचना संख्या-5298/29-7-33(के0ओ0)-78 सी0 ए0-10-1955-ओ-1962-ए0एम0(10)-1980 दिनांक 12 मई, 1980

11- अधिसूचना संख्या-231/29-7-32(के0ओ0)-77सी0 ए0-10/1955-ओ-1962-ए0एम0-11-1980 दिनांक 15 सितम्बर, 1980

12- अधिसूचना संख्या-2331/29-7-75(के0ओ0)/88-सी0ए0-10/1955-ओ-1962-ए0एम012/1988 दिनांक 29 जून, 1988

13- अधिसूचना संख्या-1367/29-7-88(के0ओ0)/89सी0ए0-10/1955-ओ-1962-ए0एम0-13/1990 दिनांक 10 मई, 1990

----

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-07/2017/545(1)/29-7-2017 रिट-07/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) उत्तर प्रदेश।

4- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ (दस प्रतियों सहित)

5- पुलिस उप महानिरीक्षक, खाद्य सेल उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ/नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

6- समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त संयुक्त/उप/सहायक खाद्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9- निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश।

10- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लि0 लखनऊ/उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 लखनऊ।

11- राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग उ0प्र0 इण्डियन ऑयल भवन, टी0सी0-39 वी, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

12- विधायी अनुभाग-1/भाषा हिन्दी अनुभाग-5/भाषा उर्दू अनुभाग।

13- विधि परामर्शी का पुस्तकालय (पांच प्रतियों में)।

14- खाद्य तथा रसद शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

15- निजी सचिव, मा0 खाद्य मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

संख्या-07/2017/545(2)/29-7-2017 रिट-07/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि विज्ञप्ति की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (क) सामान्य परिनियम में प्रकाशित करके इसकी हिन्दी व अंग्रेजी की 500-500 मुद्रित प्रतियां शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in